

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धौद जिला - सीकर

क्रमांक 2472/25 वनाम मेवर्क 273
 किम मूल्यमा 51 का (88, 100) मुं. 167 वं 2025

दिनांक	आज्ञा - पत्र
9/9/25	<p>वकील वारी द्वारा न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट न्यायालय हाजा ली गई। दाया दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन रजिस्टर्ड डाक से तलब कर पत्रावली नियत तिथि 25.09.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी धौद जिला सीकर</p>
25/9/25	<p>पत्रावली पेश हुई/वकाल अभ्यागत उपस्थित है P.O. Sb. अवकाश पर/मुनाय कार्य में व्यस्त, यात्रा पर/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूरा आदेशानुसार दिनांक 24/10/25 को पेश हो।</p>
24/10/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वारी उप. पत्रावली वाले तलबी जरिये Reg. ad. दि. 28/11/25 को पेश हो।</p>
28/11/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वारी उप. पत्रावली वाले तलबी जरिये Reg. ad. दि. 22/12/25 को पेश हो।</p>
22/12/25	<p>पत्रावली पेश हुई। आज अभिनायक संघ का कार्य स्थगन है। अतः पत्रावली मत्त आदेशानुसार दिनांक 09/01/26 को पेश हो।</p>
09/01/26	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वारी उप. पत्रावली वाले तलबी जरिये Reg. ad. दि. 29/01/26 को पेश हो।</p>
29/01/26	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वारी व वारी स्वयं अनु. वकील वारी व वारी स्वयं को मार कर</p>

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला - सीक

अभ्याराम बनाम डोवर्धा

किस्म मुकदमा दोष मु.नं. 157/ वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा - पत्र	
	<p>आज्ञा लगेवाइ की है। डोवर्धा के भोवभूह - माथालम समम में सामंजस्य तक भी डोवर्धा में लगेवाइ की उपस्थित नहीं है। पर पत्रावली इसी स्टापड अफम पैदवी। डोवर्धा हाथिही में खारिम किया जाने के आदेश दिव्य जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमाड लोड करह तकमील हाथिल दफतर है।</p>	



उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला - सीक